

रा. रा. श्रीमान् अप्पर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर के समक्ष

अपील प्रकरण क्रमांक—..... / 2014

प्रस्तुति दिनांक / 01 / 2014

श्री रमपसाद वर्मा पिता स्वर्गीय श्री प्यारेलालजी वर्मा
निवासी—ग्राम आम्बाचन्दन, तहसील महू... अपीलाण्ट / प्राथी

विरुद्ध

1. स्वर्गीय मिठठनलाल पिता स्वर्गीय प्यारेलाल मृत तर्फ वारिसान

ए. श्रीमती सुखियाबाई पति स्वर्गीय श्री मिठठनलाल

बी. श्री देवनारायण पिता स्वर्गीय श्री मिठठनलाल

सी. श्री अरुण पिता स्वर्गीय श्री मिठठनलाल

सभी निवासी—263 / 2, यादव नंद नगर, इन्दौर

02. स्वर्गीय श्री सत्यानारायण पिता स्वर्गीय प्यारेलालजी
मृत तर्फ वारिसान

ए. श्रीमती पुष्पाबाई बेवा श्री सत्यानारायण

बी. श्री संजय पिता स्वर्गीय श्री सत्यानारायण
दोनों निवासी—22 / 1, साईधाम कॉलोनी, उज्जैन

03. मनोहर पिता स्वर्गीय श्री प्यारेलाल
निवासी—7 / 5, चौथी पलटन, पुलिस लाईन इन्दौर

04. श्रीमती तुलसीबाई पति मोतीलाल
निवासी—दीपक केन्द्रिय स्कूल के पास, पीथमपुर

05. श्रीमती रामदुलारी बाई पति श्री रामभरोसे
निवासी—अन्नपूर्णा कॉलोनी, ग्राम कोदरिया तहसील महू

06. श्रीमती दुर्गा बाई पाते गोपाल
निवासी—तिवारी उद्योग चक्की के सामने,
तिसरी मंजिल शंकरगंज, इन्दौर मध्यप्रदेश
07. श्री राधेश्याम पिता श्री बाबुलाल
निवासी—ग्राम आम्बाचन्दन, महू तहसील महू
08. श्री रामलाल पिता बाबुलाल मृतक तर्फ वारिसान्तरण

- ए. श्री मोहनलाल पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
बी. श्री कमल पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
सी. श्री अशोक पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
डी. श्री अरुण पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
ई. श्री राजकुमारी पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
एफ. श्रीमती शशी पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
जी. श्रीमती सरला पिता स्वर्गीय श्री रामलालजी
एच. श्री दीपक कौशल पिता स्वर्गीय श्री सोहनलालजी
आई. सुश्री पिन्की पिता स्वर्गीय श्री सोहनलालजी
जे. सुश्री रिंकी पिता स्वर्गीय श्री सोहनलालजी
के. श्रीमती भूरी पति स्वर्गीय श्री सोहनलालजी
एल. श्री जान्टी पिता स्वर्गीय श्री राजू
एम. श्री मोन्टी पिता स्वर्गीय श्री राजू
एन. श्री दिव्या पिता स्वर्गीय श्री राजू
सभी निवासी—कन्डेलपुरा, इन्दौर .. रिस्पाडेन्ट / प्रतिप्रार्थी

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता में

अपीलांण्ट / प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि—

यह कि, माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय, के पीठासीन अधिकारी माननीय कुमारी निधि वर्मा साहब के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक-19 / अ-27 / 2011-12 श्रीमती सुखीयाबाई पति प्यारेलाल व अन्य विरुद्ध रामप्रसाद वर्मा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06 / 01 / 2014 को जो अन्तिम आदेश दिया गया है, उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांगट निम्न एवम् अन्य आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते हैं कि—

२०/४/१९

आवेदक स्वयं स्वचता उपरोक्त अनुपार्थित
लीन कार पुकार हालाया गयी। केंद्रीय उपायित
नहीं। आवेदक की अनुपार्थित से पुकार
अद्य वैरब में समाप्त किया जाता है।

—
अद्य वैरब